

(5)

**“ लोक सेवा प्रबंधन विभाग के नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और रिकॉर्डों की सूची जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है ”**

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (v) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010

- ❖ मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (संशोधन) 2011
- ❖ मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 2012
- ❖ मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (संशोधन) 2021

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 अगस्त 2010—श्रावण 27, शक 1932

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१०

क्र. ४३०३-३०९-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक १७ अगस्त २०१० को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१०.

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१०.

#### विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना.
४. निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.
५. निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना.
६. अपील.
७. शास्ति.
८. पुनरीक्षण.
९. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१०. नियम बनाने की शक्ति.
११. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१०.

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१०.

[ दिनांक १७ अगस्त, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अगस्त, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई ]

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार  
और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, २०१० है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) "पदाभिहित अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;
- (ख) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिये पात्र है;
- (ग) "प्रथम अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;
- (घ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;
- (ङ) "सेवा का अधिकार" से अभिप्रेत है, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा ४ के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार;
- (च) "सेवा" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;
- (छ) "द्वितीय अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;
- (ज) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (झ) "निश्चित की गई समय सीमा" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय.

सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना.

३. राज्य सरकार, समय-समय पर, उन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा.

४. पदाभिहित अधिकारी धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान कराएगा।

निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार।

५. (१) निश्चित की गई समय सीमा, अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथा अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यकरूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी।

निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना।

(२) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा।

६. (१) कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा:

अपील।

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।

(२) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा।

(३) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से ६० दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी :

परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, ६० दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।

(४) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को रद्द कर सकेगा।

(ख) द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ धारा ७ के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(५) (क) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ५ की उपधारा (१) का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है।

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि द्वितीय अपील का होता है।

(६) प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

- (क) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना.
- (ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और
- (ग) ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किए जाएं.

शास्ति.

७. (१) (क) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए २५० रु. प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो अधिकतम ५००० रुपये हो सकेगी :

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

- (२) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

- (३) द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा (१) या (२) या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में, जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश दे सकेगा.
- (४) यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है तो वह यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा.

पुनरीक्षण.

८. द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिये गये किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के तारीख से ६० दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो वह ऐसे आवेदन को ६० दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा.

९. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१०.(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति.

(२) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएंगे.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी : कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१०

क्र. ४३०४-३०९-इक्कीस-अ-(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 24 of 2010.  
THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI  
GUARANTEE ADHINIYAM, 2010

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Notification of services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits.
4. Right to obtain service within stipulated time limit.
5. Providing services in stipulated time limit.
6. Appeal.
7. Penalty.
8. Revision.
9. Protection of action taken in good faith.
10. Powers to make rules.
11. Power to remove difficulties.

**MADHYA PRADESH ACT**  
No. 24 of 2010.  
**THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE**  
**ADHINIYAM, 2010.**

[Received the assent of the Governor on the 17th August, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 18th August, 2010]

**An Act to provide for the delivery of services to the people of the State within the stipulated time limit and for matters connected therewith and incidental thereto.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

**Short title, extent and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Vidheyak, 2010.

(2) It shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

**Definitions.**

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—

- (a) "designated officer" means an officer notified as such for providing the service under Section 3;
- (b) "eligible person" mean person who is eligible for notified services;
- (c) "first appeal officer" means an officer who is notified as such under Section 3;
- (d) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (e) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under Section 4;
- (f) "service" means any service notified under Section 3;
- (g) "second appellate authority" means an officer who is notified as such under Section 3;
- (h) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (i) "stipulated time limit" means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the first appeal officer as notified under Section 3.

**Notification of services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits.**

3. The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits to which this Act shall apply.

**Right to obtain service within stipulated time limit.**

4. The designated officer shall provide the service notified under Section 3 to the person eligible to obtain the service, within the stipulated time limit.

**Providing service in stipulated time limit.**

5. (1) Stipulated time limit shall start from the date when required application for notified service is submitted to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive the application. Such application shall be duly acknowledged.

(2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall within the stipulated time limit either provide service or reject the application and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate to the applicant.

6. (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appeal officer within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit: **Appeal.**

Provided that the first appeal officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The first appeal officer may order to the designated officer to provide the service within the specified period or may reject the appeal.

(3) A second appeal against decision of first appeal officer shall lie to the second appellate authority within 60 days from the date on which the decision was made :

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of 60 days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4)(a) The second appellate authority may order to the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal.

(b) Along with the order to provide service, the second appellate authority. may impose penalty according to the provisions of section 7.

(5)(a) If the designated officer does not comply sub-section (1) of section 5, then the applicant aggrieved from such non-compliance may submit an application directly to the first appeal officer. This application shall be disposed of in the manner of first appeal.

(b) If the designated officer does not comply the order of providing the service under sub-section (2) of section 6, then the applicant aggrieved from such non-compliance may submit an application directly to the second appellate authority. This application shall be disposed of in the manner of second appeal.

(6) The first appeal officer and second appellate authority shall while deciding an appeal under this section, have the same powers .as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely :—

- (a) requiring the production and inspection of documents;
- (b) issuing summons for hearing to the designated officer and appellant; and
- (c) any other matter which may be prescribed.

7. (1)(a) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, then he may impose a lump sum penalty which shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees. **Penalty.**

(b) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing the service, then he may impose a penalty at the rate of 250 rupees per day for such delay on the designated officer, which shall not be more than 5000 rupees:

Provided that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(2) Where the second appellate authority is of the opinion that the first appeal officer has failed to decide the appeal within the stipulated time limit without any sufficient and reasonable cause, then he may impose a penalty on first appeal officer which shall not be less than 500 rupees and more than 5000 rupees:



Provided that the first appeal officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(3) The second appellate authority may order to give such amount as compensation to the appellant from the penalty imposed under sub-section (1) or (2) or both, as the case may be, which shall not exceed to the imposed penalty.

(4) The second appellate authority, if it is satisfied that the designated officer or the first appeal officer has failed to discharge the duties assigned to him under this Act, without sufficient and reasonable cause, may recommend disciplinary action against him under the service rules applicable to him.

**Revision.**

8. The designated officer or first appeal officer aggrieved by any order of second appellate authority in respect of imposing penalty under this Act, may make an application for revision to the officer nominated by the State Government within the period of 60 days from the date of that order, who shall dispose of the application according to the prescribed procedure:

Provided that the officer nominated by the State Government may entertain the application after the expiry of the said period of 60 days, if it is satisfied that the application could not be submitted in time for the sufficient cause .

**Protection of action taken in good faith.**

9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

**Powers to make rules.**

10.(1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act by the State Government shall be laid before the State Legislature.

**Power to remove difficulties.**

11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2011—वैशाख 22, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 मई, 2011

क्र. 1965-181-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 मई, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०११

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०११

[ दिनांक ५ मई, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक 12 मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०११ है.

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० ( क्रमांक २४ सन् २०१० ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ६ में, उपधारा ( २ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

“( २ क ) अपील की सुनवाई के दौरान, यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदाभिहित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समनुदेशित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है तो वह द्वितीय अपील प्राधिकारी को, पदाभिहित अधिकारी पर धारा ७ की उपधारा ( १ ) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश कर सकेगा.”.

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा ( ४ ) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

“( ५ ) ( क ) यदि आवेदक उपधारा ( १ ) या ( २ ) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, से संतुष्ट नहीं है तो वह इस संबंध में धारा ८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा.

( ख ) नामनिर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति, प्रथम अपील अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पूर्व में अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए ५००० रुपये तक हो सकेगी तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा :

परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा.

( ग ) इसके अतिरिक्त यदि नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित की है या कार्यवाही लंबित रखी है या ऐसी रीति में कार्य किया है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायक नहीं है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५००० रुपये तक हो सकेगी तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा :

परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा.”.

४. मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ८क का  
अंतःस्थापन.

“८-क. धारा ७ की उपधारा (५) के खण्ड (ग) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से ६० दिन की कालावधि के भीतर पुनर्विलोकन हेतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा. नामनिर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा :

नामनिर्दिष्ट  
अधिकारी के आदेश  
का पुनर्विलोकन.

परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो ऐसे आवेदन को ६० दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्राह्य कर सकेगा.”

भोपाल, दिनांक 12 मई 2011

क्र. 1966-181-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 22, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 OF 2011.

**THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.**

[Received the assent of the Governor on the 5th May, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th May, 2011.

**An Act to amend the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011. **Short title.**

2. In Section 6 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (No. 24 of 2010) (hereinafter referred to as the Principal Act), after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :— **Amendment of Section 6.**

“(2a) During the hearing of the appeal, if the first appeal officer finds that the service was not provided by the designated officer within the stipulated time limit despite the applicant having fulfilled all the requirements or if in his opinion the application has been rejected without assigning sufficient reasons, he may make a reference to the second appellate authority to impose a penalty on the designated officer under sub-section (1) of Section 7.”

3. In Section 7 of the Principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be added, namely :— **Amendment of Section 7.**

“(5)(a) If the appellant is not satisfied with the penalty imposed, if any, by the Second

Appellant Authority under sub-section (1) or (2), he may make an application in this regard to the Officer nominated by the State Government under Section 8.

- (b) The nominated officer may, after giving an opportunity of being heard to the First Appeal Officer or the Designated Officer, as the case may be, impose a penalty which may extend to 5000 rupees including the penalty earlier, imposed if any, and recommend disciplinary action against the officer concerned :

Provided that the nominated officer may, for adequate and special reason to be mentioned in the order, instead of imposing a penalty, recommend disciplinary action only.

- (c) Further, if the nominated officer is satisfied that the Second Appellate Authority has imposed an inadequate penalty or has delayed proceedings or acted in a manner not conducive to the implementation of this Act, he may impose on him a penalty which may extend to 5000 rupees, after giving him an opportunity of being heard, and recommend disciplinary action against him :

Provided that the nominated officer may, for adequate and special reason to be mentioned in the order, instead of imposing a penalty, recommend disciplinary action only.

**Insertion of Section 8A.**

**Review of order of nominated officer.**

4. After Section 8 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“8A. The Second Appellate Authority aggrieved by any order passed under clause (c) of sub-section (5) of Section 7, may make an application for review to the nominated officer within a period of 60 days from the date of that order. The nominated officer shall dispose of the application according to the prescribed procedure :

Provided that the nominated officer may entertain an application after the expiry of the said period of 60 days, if he is satisfied that the application could not be submitted in time for sufficient cause.”.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 जनवरी 2012—पौष 27, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. 293-19-इक्कीस-अ (प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09 जनवरी 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१२.

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११

[ दिनांक ९ जनवरी, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १७ जनवरी, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी को या इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे, प्रस्तुत किया जाएगा. ऐसे आवेदन की सम्यक् स्वीकृति दी जाएगी. निश्चित की गई समय-सीमा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी.”

धारा ६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

“(एक) उपधारा (१) में, परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि प्रथम अपील अधिकारी स्वप्रेरणा से, धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे आवेदन का, जो कि रद्द कर दिया गया हो या निश्चित की गई समय-सीमा से परे लंबित हो, अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह समुचित समझे.”;

(दो) उपधारा (३) में, परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि द्वितीय अपील प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, उपधारा (१) के अधीन फाइल की गई ऐसी अपील का, जो कि रद्द कर दी गई हो या प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष निश्चित की गई समय-सीमा से परे लंबित हो, अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह समुचित समझे.”

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. 294-19-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 5 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 5 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE (DWITIYA  
SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 9th January, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th January, 2012.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011. Short title.

2. In Section 5 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010. (No. 24 of 2010), (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of Section 5.

"(1) The application for obtaining the notified service shall be submitted to the designated officer or to his subordinate so authorized or to such other person as may be authorized by the State Government to receive the application. Such application shall be duly acknowledged. Stipulated time limit shall start from the date of submission of such application."

3. In Section 6 of the principal Act,— Amendment of Section 6.

(i) in sub-section (1), in the proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided further that the first appeal officer may on his own motion call for the record of an application submitted under sub-section (1) of Section 5, which has been rejected or has been pending beyond stipulated time limit and pass such order as may be deemed appropriate.";

(ii) in sub-section (3), in the proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the second appellate authority may on his own motion call for the record of an appeal filed under sub-section (1), which has been rejected or has been pending beyond stipulated time limit before the first appeal officer and pass such order as may be deemed appropriate."



इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021—चैत्र 13, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5135-176-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अप्रैल, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 12 सन् २०२१

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा २ का स्थापन.
३. धारा ३ का संशोधन.
४. धारा ५ का संशोधन.
५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०२१

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१

[ दिनांक २ अप्रैल, 2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक ३ अप्रैल २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.

धारा २ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० ( क्रमांक २४ सन् २०१० ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

परिभाषाएं.

“२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “आवेदन प्ररूप” से अभिप्रेत है, कोई आवेदन, जो आवेदक द्वारा पदाभिहित पोर्टल पर भरा जाएगा;
- (ख) “मान्य अनुमोदन” से अभिप्रेत है, धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार उत्पन्न कोई अनुमोदन, जो पदाभिहित पोर्टल द्वारा किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना हो;
- (ग) “पदाभिहित इकाई” से अभिप्रेत है, पदाभिहित पोर्टल के प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई इकाई;
- (घ) “पदाभिहित अधिकारी” से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;
- (ङ) “पदाभिहित पोर्टल” से अभिप्रेत है, पदाभिहित इकाई द्वारा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुरक्षित कोई इलेक्ट्रॉनिक पद्धति;
- (च) “पात्र व्यक्ति” से अभिप्रेत है, अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति;
- (छ) “प्रथम अपील अधिकारी” से अभिप्रेत है, कोई अधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;
- (ज) “कपट” से अभिप्रेत है, ऐसा कृत्य जो भारतीय दण्ड संहिता, १८६० ( १८६० का ४५ ) की धारा ४२१ अथवा भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ ( १८७२ का ९ ) की धारा १७ के अधीन परिभाषित है;
- (झ) “विहित” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (ञ) “सेवा का अधिकार” से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन नियत समय-सीमा के भीतर सेवा अभिप्राप्त करने का अधिकार;
- (ट) “द्वितीय अपील प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;
- (ठ) “सेवा” जिसमें अनुमतियां सम्मिलित हैं, से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;

(ड) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ढ) “नियत समय-सीमा” से अभिप्रेत है, अधिकतम समय जिसके भीतर धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदाय की जानी है या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय किया जाना है.”.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ के प्रारंभिक पैराग्राफ को उसकी उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:— धारा ३ का संशोधन.

“(२) राज्य सरकार, समय-समय पर, उन सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी जिनको कि मान्य अनुमोदन के उपबंध लागू होंगे.”.

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उप धाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात्:— धारा ५ का संशोधन.

“(३) यदि पदाभिहित अधिकारी, धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित किसी सेवा के लिए प्राप्त आवेदनों का, नियत समय-सीमा के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, ऐसी सेवा के लिए मान्य अनुमोदन पदाभिहित पोर्टल द्वारा उत्पन्न किया जाएगा. ऐसे मान्य अनुमोदन की कानूनी वैधता, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के समान ही होगी.

(४) उपधारा (३) के अधीन उत्पन्न किया गया अनुमोदन इस अधिनियम की धारा ६ तथा धारा ७ के उपबंधों को आकर्षित नहीं करेगा.

(५) कपटपूर्ण कृत्य या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त की गई सेवा की दशा में, पदाभिहित अधिकारी उसका तत्काल प्रभाव से प्रतिसंहरण करेगा.”.

५. (१) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ९ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2021

क्रमांक 5135-176-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 12 OF 2021

THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

TABLE OF CONTENTS

**Sections :**

1. Short title.
2. Substitution of Section 2.
3. Amendment of Section 3.
4. Amendment of Section 5.
5. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT  
NO. 12 OF 2021

**THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021**

[Received the assent of the Governor on the 2nd April, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd April, 2021.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows :—

**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021.

**Substitution of Section 2.**

2. For Section 2 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (No. 24 of 2010) (hereinafter referred to as the principal Act), the following Section shall be substituted, namely:—

**Definitions.**

"2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "application form" means an application which shall be filled on designated portal by the applicant;
- (b) "deemed approval" means an approval generated in accordance with sub-section (3) of Section 5 by the designated portal without the intervention of any person;
- (c) "designated entity" means an entity notified by the State Government for administering the designated portal;
- (d) "designated officer" means an officer so notified for providing the service under Section 3;
- (e) "designated portal" means an electronic system maintained by the designated entity for the purpose of delivering services;
- (f) "eligible person" means any person eligible for receiving notified services;
- (g) "first appeal officer" means an officer who is notified as such under Section 3;
- (h) "fraud" means an act defined under section 421 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860) or under section 17 of the Indian Contract Act, 1872 (No. 9 of 1872);
- (i) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (j) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under section 4;
- (k) "second appellate authority" means an officer notified as such under section 3;
- (l) "service" which includes permissions, means any service notified under Section 3;
- (m) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (n) "stipulated time limit" means maximum time within which the service is to be provided by the designated officer or the appeal is to be decided by the first appeal officer as notified under section 3."

3. The opening paragraph of Section 3 of the principal Act shall be numbered as sub-section (1) thereof and thereafter the following sub-section shall be added, namely:-

**Amendment of Section 3.**

"(2) The State Government may, from time to time, notify services to which provision of deemed approval shall apply."

4. In Section 5 of the principal Act, after sub-section(2) the following sub-sections shall be added, namely:—

**Amendment of Section 5.**

"(3) If designated officer fails to take a decision within the stipulated time-limit on the applications received for a service notified under sub-section (2) of Section 3, then the deemed approval for such service shall be generated by the designated portal. Such deemed approval shall have the same force of law as the approval duly granted by the designated officer.

(4) Approval generated under sub-section (3) shall not attract provisions of Section 6 and Section 7 of this Act.

(5) In case where the service was received by fraudulent act or submission of false information, the designated officer shall revoke the same with immediate effect."

5.(1) The Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee (Sanshodhan) Adhyadesh (No. 9 of 2021) is hereby repealed.

**Repeal and saving.**

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.